[2020] 12 एस. सी. आर 1139

मध्य प्रदेश राज्य

वी.

पर्यावरण सुरक्षा के लिए केंद्र

अनुसंधान और विकास और ओआरएस।

(सिविल अपील सं। 8932-8933 2015)

अगस्त 28,2020

[अरुण मिश्रा और इंदिरा बनर्जी, जे. जे.]

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010। 2 (1) (ग), (मी), 3,14,

15 , 19 , 20 , 22-24 - राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एन. जी. टी.) द्वारा जारी कंबल निर्देश कि वैध प्रदूषण नियंत्रण (पी. यू. सी.) प्रमाणपत्र प्रदर्शित नहीं करने वाले मोटर वाहनों को पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन/निरसन का सामना करना पड़ेगा, और ईंधन की आपूर्ति से भी वंचित किया जाएगा-समीक्षा-अस्वीकृत-अपील पर कहा गयाः वैध पी. यू. सी. प्रमाणपत्र रखने और/या प्रदर्शित करने की आवश्यकता का पालन नहीं करने वाले वाहनों को ईंधन की आपूर्ति रोकने पर 1989 के नियमों या एन. जी. टी. अधिनियम में विचार नहीं किया गया है-न्यायाधिकरण को राज्य सरकार को आदेश जारी करने का निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं था।

विक्रेताओं, दुकानों और पेट्रोल पंपों को निर्देश/निर्देश

पी. यू. सी. प्रमाणपत्र के बिना वाहनों को ईंधन की आपूर्ति-इसके अलावा, न्यायाधिकरण के पास अपने आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य को Rs.25 करोड़ जमा करने का निर्देश देने का भी कोई अधिकार नहीं था-इस तरह के आदेश में ऐसा नहीं होना चाहिए था समीक्षा में पारित किया गया जब प्रारंभिक आदेश में ऐसा कोई निर्देश नहीं था-राज्य को उपरोक्त निर्देश जारी करने की सीमा तक अलग रखे गए विवादित आदेश-हालांकि, राज्य आर. आर. के अनुपालन को सख्ती से लागू करेगा। 115 , 116 और उल्लंघन करने वालों को दंडित करें

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-मोटर वाहन नियम, 1989-आर. 115 , 116 -वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981। 2 ,

16 , 17 , 20 , 39 , 41 , 52 - पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986। 3 , 5 , 7 , 10 , 11 , 15 , 17-19 , 23 , 24 – पर्यावरण कानून।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 115 (7),

1989 यह प्रावधान है कि मोटर वाहन को पहली बार पंजीकृत करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद, प्रत्येक ऐसे वाहन के पास राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी एक वैध "प्रदूषण नियंत्रण" प्रमाण पत्र होगा। प्रमाणपत्र की वैधता [छह] के लिए होगी।

और प्रमाण पत्र हमेशा वाहन में ले जाया जाएगा और नियम 116 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा मांग पर प्रस्तुत किया जाएगा। नियम 116 और विशेष रूप से उप-नियम (1) जिसे उप-नियम 2 से 5 के साथ पढ़ा जाता है, एक अधिकारी को चालक को निर्देश देने का अधिकार देता है।

या मोटर वाहन के प्रभारी किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिए

एक अधिकृत परीक्षण केंद्र में उत्सर्जन के मानकों को मापने और एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए एक परीक्षण के लिए वाहन। चालक और/या वाहन का प्रभारी व्यक्ति इस तरह के निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य है। नियम 115 (2) और (7) का पालन न करने के परिणाम केंद्रीय मोटर वाहन नियम के नियम 116 के उप-नियम (4) से (9) में निर्धारित किए गए हैं। [पारस 22,24 और 25] [1158]

डी; 1160-डी-ई]

1.2 हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 प्रभावी और प्रभावी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया है।

पर्यावरण संरक्षण और उससे जुड़े मामलों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटान। उक्त अधिनियम की धारा 2 (1) (सी) पर्यावरण को जल, वायु और भूमि और जल, वायु और भूमि और मनुष्यों, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, सूक्ष्म जीवों और संपत्ति के बीच और उनके बीच मौजूद अंतर-संबंध को शामिल करने के लिए परिभाषित करती है। धारा 2 (1) (एम) "पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न" को परिभाषित करती है। धारा 15 राष्ट्रीय वस्त्र

ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास राहत, मुआवजे और क्षतिपूर्ति के आदेश पारित करने की शक्ति है। धारा 23 न्यायाधिकरण को लागतों के बारे में ऐसा आदेश देने में सक्षम बनाती है जो वह आवश्यक समझे और धारा 24 न्यायाधिकरण को मौद्रिक निर्णय लेने का अधिकार देती है।

पर्यावरण को नुकसान के आधार पर क्षतिपूर्ति या राहत। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण का एक पुरस्कार या आदेश या निर्णय स्वयं न्यायाधिकरण द्वारा सिविल न्यायालय के आदेश के रूप में निष्पादित किया जा सकता है, जिसके लिए न्यायाधिकरण के पास सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां हैं। न्यायाधिकरण अपने द्वारा दिए गए किसी भी आदेश या पुरस्कार को निष्पादन के लिए सिविल न्यायालय को भी प्रेषित कर सकता है। न्यायाधिकरण के निर्णय से अपील सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 में निर्दिष्ट एक या अधिक आधारों पर और/या दूसरे शब्दों में कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर धारा 22 के तहत न्यायालय में होती है। अतः यह न्यायालय यह आवश्यक नहीं समझता है कि - अपील के तहत निर्णयों और आदेशों में किसी भी तथ्यात्मक निष्कर्ष की शुद्धता की जांच करें। एनजीटी अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरण के पास उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत सभी दीवानी मामलों का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र है, जहां मध्य प्रदेश राज्य के पर्यावरण से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न है।

जिसमें पर्यावरण से संबंधित किसी भी अधिकार का प्रवर्तन शामिल है और ऐसा प्रश्न उक्त अधिनियम की अनुसूची I में निर्दिष्ट अधिनियमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होता है, जिसमें वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 शामिल हैं। इसे ध्यान में रखते हुए

एनजीटी अधिनियम की धारा 2 (एम) में पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न की परिभाषा, न्यायाधिकरण किसी भी विशिष्ट वैधानिक पर्यावरणीय दायित्व के उल्लंघन के प्रश्न की जांच और निर्णय कर सकता है, जो व्यक्तियों के एक समूह या बड़े पैमाने पर समुदाय को प्रभावित करता है या प्रभावित करने की संभावना है। एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 14 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए, पर्यावरण के किसी भी कानूनी अधिकार सहित कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल होना चाहिए और ऐसा प्रश्न होना चाहिए।

निर्दिष्ट अधिनियमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होता है। किसी भी विशिष्ट वैधानिक पर्यावरणीय दायित्व का उल्लंघन कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को जन्म देता है न कि केवल अनुसूची I में निर्दिष्ट अधिनियमों के तहत वैधानिक दायित्वों को। अनुसूची I में निर्दिष्ट अधिनियम मोटर वाहन अधिनियम, 1988 को एनजीटी अधिनियम की अनुसूची I में निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है। हालांकि,

उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए सांविधिक 1989 नियम मोटर वाहनों के नियंत्रण में निर्माताओं, मालिकों और अन्य लोगों के साथ-साथ राज्य और अन्य सांविधिक पर्यावरण संबंधी दायित्वों को भी निर्धारित करते हैं।

अधिनियम और, विशेष रूप से, 1981 के अधिनियम की धारा 20 जो राज्य सरकार को हमारे प्रदूषकों के उत्सर्जन मानकों और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 7 का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से मोटर वाहनों के पंजीकरण के प्रभारी अधिकारियों को निर्देश देने का अनिवार्य कर्तव्य देती है। जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी ऑपरेशन को करने से रोकता है, जिसमें मोटर वाहन का संचालन, निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी पर्यावरणीय प्रदूषक का निर्वहन या उत्सर्जन करना या ऐसे निर्वहन या उत्सर्जन की अनुमति देना शामिल है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 3,7,10,11 और 23 के संयुक्त पठन पर, धारा के विशेष संदर्भ के साथ।

3 (1) , 3 (2) (i) (a) और (b), 3 (2) (iii, iv) और 3 (2) (x) 1981 के अधिनियम की धारा 20 के साथ और धारा 14, जिसे [2020] 12 एस. सी. आर. की धारा 2 (सी) और 2 (एम) के साथ पढ़ा जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एनजीटी अधिनियम और 1989 के नियमों के नियम 115 और 116, न्यायाधिकरण के पास अपीलकर्ता राज्य सरकार को निम्नलिखित आवश्यकताओं को सख्ती से लागू करने का निर्देश देने की शक्ति, अधिकार और/या अधिकार क्षेत्र थाः वैध पी. यू. सी. प्रमाणपत्र रखने और/या प्रदर्शित करने के लिए वाहन, और अपीलकर्ता राज्य सरकार और/या अन्य संबंधित अधिकारियों को कानून, यानी 1989 के नियमों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश देना। 1981 के अधिनियम की धारा 17 (1) (जी) के साथ धारा 20 के उद्देश्यपूर्ण पठन पर, अधिनियम के नियम 115 और 116 द्वारा निर्धारित उत्सर्जन के मानक।

1989 नियम 1981 के अधिनियम की धारा 20 को आकर्षित करते हैं। प्रदूषण पी. यू. सी. प्रमाणपत्र के बिना वाहन चलाने के लिए (i) पंजीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन; (ii) कारावास जो तीन महीने तक बढ़ सकता है; (iii) जुर्माना जो Rs.10,000/- तक बढ़ सकता है या दोनों (iv) तीन महीने की अवधि के लिए लाइसेंस रखने के लिए अयोग्यता।

(v) कारावास जो छह महीने तक बढ़ सकता है या जुर्माना जो Rs.10,000/- तक बढ़ सकता है या जुर्माने के साथ। नियम 116 (8) और (9) के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पंजीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन अस्थायी है। निलंबन तब तक है जब तक कि पंजीकरण प्राधिकरण के समक्ष एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है जो यह प्रमाणित करता है कि वाहन केंद्रीय नियमों के नियम 115 के उप नियम (2) और (7) का पालन करता है। एक पंजीकरण प्रमाण पत्र को भी निलंबित माना जाना चाहिए, जब तक कि एक नया प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो जाता। जब कोई क़ानून या सांविधिक नियम किसी कार्य या चूक के लिए जुर्माना निर्धारित करते हैं, तो कोई अन्य जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है जो क़ानून या सांविधिक नियमों में विचार नहीं किया गया है। जब क़ानून किसी चीज़ को एक विशेष तरीके से करने की माँग करता है, तो उसे केवल उसी तरीके से किया जाना है। वैध पी. यू. सी. प्रमाणपत्र रखने और/या प्रदर्शित करने की आवश्यकता का पालन नहीं करने वाले वाहनों को ईंधन की आपूर्ति रोकने पर 1989 के नियमों या एन. जी. टी. अधिनियम में विचार नहीं किया गया है। वैध पी. यू. सी. प्रमाणपत्र रखने और/या प्रदर्शित करने की आवश्यकता का पालन नहीं करने वाले मोटर वाहनों को ईंधन की आपूर्ति से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। न्यायाधिकरण (केंद्रीय क्षेत्रीय पीठ, भोपाल) के पास अपीलकर्ता राज्य सरकार को आदेश जारी करने का निर्देश देने के लिए कोई शक्ति और/या प्राधिकरण और/या अधिकार क्षेत्र नहीं था।

विक्रेताओं, दुकानों और पेट्रोल पंपों पर निर्देश या निर्देश पी. यू. सी. प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को ईंधन की आपूर्ति नहीं करना। [अनुच्छेद 26 28,31,33,35,37-43,48-50,52 और 54] [1160-E-G; 1162-A; 1164 C-D; 1165-F; 1166-B-H; 1167-A-D; 1168-B-E, F; 1169-A-B] मध्य प्रदेश का राज्य v.

1.3 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश अपीलार्थी राज्य के खिलाफ बाध्यकारी और प्रवर्तनीय हैं। न्यायाधिकरण ने कहा था कि

एनजीटी अधिनियम की धारा 25 में प्रावधान किया गया है। न्यायाधिकरण के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभूति जमा करने के लिए एन. जी. टी. अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। न्यायाधिकरण के आदेश का पालन करने में विफलता के लिए दंड में धाराओं में निर्धारित जुर्माना शामिल है। 26 और एनजीटी अधिनियम की धारा 28। 1981 के अधिनियम की धारा 39 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 1981 के अधिनियम और/या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत जारी नियमों, आदेशों और निर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड और/या सजा से संबंधित है और 1981 के अधिनियम की धारा 41 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 17 सरकारी विभागों द्वारा किए गए अपराधों को नियंत्रित करती है। किसी भी प्रावधान में किसी आदेश के अनुपालन को सुरक्षित करने के लिए मौद्रिक जमा का प्रावधान नहीं है। न्यायाधिकरण के पास अपीलकर्ता राज्य को अपने आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए Rs.25 करोड़ जमा करने का निर्देश देने की कोई शक्ति और/या प्राधिकरण और/या अधिकार क्षेत्र नहीं था। किसी भी मामले में इस तरह का आदेश समीक्षा में पारित नहीं किया जाना चाहिए था जब प्रारंभिक आदेश में प्रतिभूति जमा के लिए कोई निर्देश नहीं था। विवादित निर्णय और

अपीलार्थी राज्य को आदेश और/या निर्देश जारी करने का निर्देश दिया और/या सभी विक्रेताओं और/या दुकानों और/या पेट्रोल पंपों पर निर्देश

नियमों के नियम 115 और 116 का अनुपालन और उन सभी लोगों को दंडित करें जो उक्त नियमों का उल्लंघन करते हैं 1989 के नियमों के प्रावधान। [पारस 55-60] [1169-B-H; 1170-A]

एमसी मेहता बनाम भारत संघ 1988 एससी 1030; दयाल बनाम। भारत संघ ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 867 [2003] 3 पूरक।

एस. सी. आर. 152 पर भरोसा किया।

[2020] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

उस पर भरोसा करें

1988 एससी 1030

पैरा 14

[2003] 3 पूरक। एससीआर 152

उस पर भरोसा करें

पैरा 15

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 8932

8933 2015 से।

21.04.2015 और 03.08.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2013 के ओ. ए. सं. 1 और 2015 के एम. ए. सं. 394 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, केंद्रीय क्षेत्रीय पीठ, भोपाल।

सुनील फर्नांडिस, एएजी, जीशान दीवान, सुश्री नूपुर कुमार,

सुश्री प्रियांशा इंद्रा शर्मा, राहुल कौशिक, अतुल दीवान, दीपकरन दलाल, एम. सी. ढींगरा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सुश्री अलका अग्रवाल, ए. के. कौल, राज बहादुर, सुश्री कीर्ति दुआ,

कौशल यादव, राजुल श्रीवास्तव, अनूप जैन, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदिरा बनर्जी, जे.

1. मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दायर ये अपीलें इसके खिलाफ हैं।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, केंद्रीय क्षेत्रीय पीठ, भोपाल द्वारा 21 अप्रैल, 2015 को पारित एक आदेश, जिसमें उत्तरदाताओं द्वारा दायर मूल आवेदन संख्या 1/2013 (CZ) को अनुमति दी गई है और निर्देश दिया गया है कि वैध "प्रदूषण नियंत्रण" (पी. यू. सी.) प्रमाण पत्र प्रदर्शित करने की आवश्यकता का पालन नहीं करने वाले मोटर वाहनों को निलंबन का परिणाम भुगतना पड़ेगा।

और/या वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करना, और किसी भी डीलर या पेट्रोल पंप द्वारा ईंधन के साथ-साथ 3 अगस्त, 2015 का एक आदेश भी प्रदान नहीं किया जाएगा, जिसमें अपीलार्थी द्वारा 21 अप्रैल, 2015 के उक्त आदेश की समीक्षा के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया है, जो 2015 का विविध आवेदन No.394 है, लेकिन अपीलार्थी को समीक्षा के तहत आदेश के अनुपालन के लिए 60 दिनों की और अवधि प्रदान करता है।

3 अगस्त, 2015 के आदेश से एक सप्ताह के भीतर न्यायाधिकरण के पंजीयक के पास Rs.25 करोड़ जमा करने वाला अपीलार्थी, आदेश के अनुपालन के लिए प्रतिभूति, जिसमें विफल रहने पर प्रतिभूति जमा का उपयोग राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत पर्यावरणीय जरूरतों के लिए किया जाएगा।

2 (1) . 21 जुलाई, 2003 को या उसके आसपास, उत्तरदाताओं ने एक सार्वजनिक याचिका दायर की। ब्याज याचिका (पी. आई. एल.) 2003 की राज्य मध्य प्रदेश बनाम के समक्ष रिट याचिका No.1341 है।

पर्यावरण सुरक्षा अनुसंधान और विकास के लिए केंद्र [इंद्रबनेर्जी, जे.]

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने मांग की

अपीलार्थी और अन्य संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश

(2) 3 जनवरी, 2013 के एक आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने उपरोक्त रिट याचिका को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, दिल्ली की प्रधान पीठ को स्थानांतरित कर दिया और उसे मूल के रूप में पुनः क्रमांकित कर दिया गया। 2012 का आवेदन सं. 73।

(3) मार्च 2013 में किसी समय, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, दिल्ली की प्रधान पीठ ने 2012 के ओ. ए. No.73 को केंद्र को हस्तांतरित कर दिया।

भोपाल में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की क्षेत्रीय पीठ और उसे ओ. ए. संख्या 1/2013 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया था। मूल आवेदन No.01/2013 को 21 अप्रैल को सुनवाई के लिए लिया गया था। 2015 .

उसी दिन, यानी 21 अप्रैल, 2015 को। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, केंद्रीय क्षेत्रीय पीठ, भोपाल, जिसे इसके बाद विद्वान के रूप में संदर्भित किया गया है

न्यायाधिकरण ने यह देखते हुए एक आदेश पारित किया कि मोटर वाहनों के लिए वैध पी. यू. सी. प्रमाणपत्र प्रदर्शित करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 116 के साथ पठित नियम 115 की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा रहा है।

लागू किया गया। विद्वत न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता राज्य द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 116 के साथ पठित नियम 115 को प्रभावी ढंग से लागू करने में असमर्थता के लिए दिए गए कारणों को संतोषजनक नहीं पाया, जिसमें शामिल हैं -

इसका कारण यह था कि अधिकांश प्रदूषण जांच केंद्र काम करने की स्थिति में नहीं थे और पी. यू. सी. प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिक केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता थी।

(4) विद्वत न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना राज्य और उसके परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है और निर्देश दिया कि प्रदूषण मानदंडों का पालन नहीं करने वाले और वैध पी. यू. सी. प्रमाणपत्र नहीं रखने वाले वाहनों को

वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन और/या निरसन का परिणाम भुगतना पड़ता है। विद्वत न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि वैध पी. यू. सी. प्रमाणपत्र प्रदर्शित नहीं करने वाले वाहन को किसी भी डीलर या पेट्रोल पंप द्वारा ईंधन प्रदान नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी राज्य सरकार को आवश्यक आदेश, निर्देश और/या आदेश जारी करके इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया था।

31 जुलाई, 2015 के भीतर निर्देश और ऐसे [2020] 12 एस. सी. आर. को व्यापक प्रचार देना।

आदेश, निर्देश और/या निर्देश। मामले को निर्देशित किया गया था

अनुपालन की सूचना देने के लिए 3 अगस्त 2015 को सूचीबद्ध किया जाए।

3. जैसा कि ऊपर कहा गया है, अपीलार्थी द्वारा दिनांकित 21.4.2015 के उक्त आदेश की समीक्षा के लिए एम. ए. सं. 394/2015 के रूप में दायर एक आवेदन में कहा गया है इस न्यायालय के समक्ष अपील के तहत दिनांकित 3.8.2015 आदेश द्वारा भी खारिज कर दिया गया था। अपीलार्थी को, दिनांक आई. डी. 2 के उपरोक्त आदेश द्वारा, उक्त आदेश की तारीख से एक सप्ताह के भीतर जमा करने की शर्त पर, समीक्षा के तहत आदेश के अनुपालन के लिए 60 दिन और दिए गए थे, उक्त आदेश के अनुपालन के लिए प्रतिभूति के रूप में आई. डी. 1 करोड़ की राशि, जिसमें विफल रहने पर प्रतिभूति जमा का उपयोग राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत पर्यावरणीय जरूरतों के लिए किया जाएगा।

4. इस अपील में शामिल मुख्य प्रश्न हैं (क) क्या विद्वत न्यायाधिकरण अपीलार्थी राज्य सरकार को निर्देश दे सकता था कि -

पेट्रोल पंपों या खुदरा विक्रेताओं को आदेश और/या निर्देश और/या निर्देश जारी करें

राज्य सरकार को सुरक्षित करने के लिए मौद्रिक जमा करने का निर्देश एक आदेश का अनुपालन, और वह भी एक आदेश की समीक्षा के लिए एक आवेदन में, जिसमें ऐसा कोई निर्देश शामिल नहीं था।

5. पिछले कई दशकों में, प्रदूषण और वायु गुणवत्ता में परिणामी गिरावट को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ रही है।

प्रदूषण में वृद्धि के कारण वनस्पति आवरण और पारिस्थितिक/जैविक विविधता का नुकसान हुआ है, पर्यावरण में हानिकारक रसायनों की अत्यधिक सांद्रता हुई है।

परिवेशीय वातावरण, पर्यावरणीय दुर्घटनाओं के बढ़ते जोखिम और जीवन समर्थन प्रणालियों के लिए खतरा पैदा कर दिया है।

6. जून, 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में पर्यावरण की रक्षा करने का संकल्प लिया गया था

जिसमें वायु की गुणवत्ता और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना शामिल है। उक्त सम्मेलन में भारत सरकार ने पर्यावरण संबंधी चिंता व्यक्त की और पर्यावरण में सुधार के लिए कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

7. स्टॉकहोम सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय संसद ने वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 लागू किया, जिसे इसके बाद 1981 अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है, ताकि अन्य बातों के साथ-साथ, हमारे प्रदूषण की रोकथाम और उपशमन का प्रावधान किया जा सके।

8. 1981 के अधिनियम के कुछ प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं:

जो मनुष्यों या अन्य जीवित प्राणियों या पौधों या संपत्ति या पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है या हो सकता है; (ख) "वायु प्रदूषण" से वातावरण में किसी भी वायु प्रदूषक की उपस्थिति अभिप्रेत है;

(सी)।

(ई) "ऑटोमोबाइल" का अर्थ है आंतरिक दहन इंजन द्वारा या ईंधन जलाकर ऐसे वाहन को चलाने के लिए बिजली पैदा करने की किसी भी विधि से संचालित कोई भी वाहन; (च)।

(जी)। ... .

(एच)। ((i)।

(जे) "उत्सर्जन" का अर्थ है कोई ठोस या तरल या गैसीय पदार्थ जो किसी चिमनी, नलिका या फ्लू या किसी अन्य निकास से निकलता है;

16. केंद्रीय बोर्ड के कार्य। - (1) प्रावधानों के अधीन

इस अधिनियम के अनुसार और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के तहत अपने कार्यों के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय बोर्ड का मुख्य कार्य वायु की गुणवत्ता में सुधार करना और देश में वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना या कम करना होगा। (2) विशेष रूप से और पूर्वगामी कार्यों की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, केंद्रीय बोर्ड

(क) संबंधित किसी भी मामले में केंद्र सरकार को सलाह देना।

वायु गुणवत्ता में सुधार और वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या उपशमन; [2020] 12 एस. सी. आर.

(ख) वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या उपशमन के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे कार्यान्वित करना।

(ग) राज्य की गतिविधियों का समन्वय करना और उनके बीच विवादों का समाधान करना। (घ) राज्य बोर्डों को तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना, संबंधित जांच और अनुसंधान करना और प्रायोजित करना।

वायु प्रदूषण और वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या उपशमन की समस्याएं;

(घ) किसी भी राज्य बोर्ड के ऐसे कार्यों का पालन करें जो धारा 18 की उप-धारा (2) के तहत किए गए आदेश और आदेश में निर्दिष्ट किए जाएं;

(ई) रोकथाम, नियंत्रण या उपशमन के लिए कार्यक्रमों में लगे हुए या लगे हुए व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना और आयोजन करना। केन्द्रीय बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले नियमों और शर्तों पर वायु प्रदूषण की रोकथाम;

(छ) वायु प्रदूषण से संबंधित तकनीकी और सांख्यिकीय डेटा एकत्र करना, संकलित करना और प्रकाशित करना और इसके प्रभावी होने के लिए तैयार किए गए उपाय करना। वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या उपशमन और रोकथाम, नियंत्रण या उपशमन से संबंधित नियमावली, कोड या गाइड तैयार करना।

(ज) वायु की गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करना;

17. राज्य बोर्डों के कार्य। — (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम 6) के तहत इसके कार्यों के निष्पादन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य बोर्ड के कार्य - (ङ) किसी भी नियंत्रण उपकरण, औद्योगिक संयंत्र या विनिर्माण प्रक्रिया का उचित समय पर निरीक्षण करना और आदेश द्वारा ऐसे व्यक्तियों को ऐसे निर्देश देना जो वह आवश्यक समझे -

वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या उपशमन के लिए कदम उठाना; (छ) केंद्रीय बोर्ड के परामर्श से और मध्य प्रदेश राज्य द्वारा निर्धारित वायु की गुणवत्ता के मानकों को ध्यान में रखते हुए।

पर्यावरण निर्णय अनुसंधान और विकास के लिए केंद्र [इंद्रबनेर्जी, जे.]

केंद्रीय बोर्ड, औद्योगिक संयंत्रों और ऑटोमोबाइल से वातावरण में वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन के लिए या किसी अन्य स्रोत से वातावरण में किसी भी वायु प्रदूषक के निर्वहन के लिए मानक, जो भी जहाज या विमान नहीं हैः

बशर्ते कि ऐसे औद्योगिक संयंत्रों से वातावरण में वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा और संरचना को ध्यान में रखते हुए विभिन्न औद्योगिक संयंत्रों के लिए इस खंड के तहत उत्सर्जन के लिए अलग-अलग मानक निर्धारित किए जा सकते हैं;

((i) ऐसे अन्य कार्यों को करने के लिए जो निर्धारित किए जाएं या

20. ऑटोमोबाइल से उत्सर्जन के लिए मानक सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की शक्ति-यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऑटोमोबाइल से वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं राज्य बोर्ड द्वारा धारा 17 की उप-धारा (1) के खंड (जी) के तहत अनुपालन किया जाता है, राज्य सरकार, परामर्श से

राज्य बोर्ड के साथ, मोटर वाहन अधिनियम, 1939 (1939 का 4) के तहत मोटर वाहनों के पंजीकरण के प्रभारी संबंधित प्राधिकरण को ऐसे निर्देश दें जो आवश्यक समझे जाएं, और ऐसा प्राधिकरण, उस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

अधिनियम-जो कोई भी इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या उसके तहत जारी किसी आदेश या निर्देश का उल्लंघन करता है, जिसके लिए इस अधिनियम में कहीं और कोई जुर्माना नहीं दिया गया है, वह तीन महीने तक की अवधि के कारावास या दस हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों के साथ दंडनीय होगा, और निरंतर उल्लंघन के मामले में, अतिरिक्त जुर्माने के साथ, जो हर दिन पांच हजार रुपये तक हो सकता है। जिसके दौरान इस तरह का उल्लंघन पहले ऐसे उल्लंघन के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद भी जारी रहता है।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

41. सरकारी विभागों द्वारा अपराध। — (1) जहाँ इस अधिनियम के तहत किसी विभाग द्वारा कोई अपराध किया गया है।

सरकार के विभाग के प्रमुख को अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगाः बशर्ते कि इस धारा में निहित कुछ भी विभाग के ऐसे प्रमुख को किसी भी सजा के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगा यदि वह साबित करता है

कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या कि उसने इस तरह के अपराध को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया अपराध।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किसी विभाग द्वारा किया गया है।

सरकार का और यह साबित होता है कि अपराध किया गया है

प्रमुख के अलावा किसी अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया, या उसकी ओर से किसी भी तरह की उपेक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। विभाग, ऐसे अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई और दंडित किया जाएगा।

तदनुसार

52. अन्य कानूनों का प्रभाव-या द्वारा अन्यथा प्रदान किए गए रूप में बचाएँ परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) के तहत, रेडियोधर्मी वायु प्रदूषण के संबंध में इस अधिनियम के प्रावधान इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य अधिनियम में निहित कुछ भी असंगत होने के बावजूद प्रभावी होंगे।

9. बाद में, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए और उसके साथ किए गए मामलों के लिए, स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में लिए गए निर्णय को लागू करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था।

1972 , जिसमें भारत ने भाग लिया था।

10. पर्यावरण के उद्देश्य और कारणों का विवरण

कार्रवाई) अधिनियम सुविधा के लिए नीचे दिया गया हैः

" 1. पर्यावरण की स्थिति पर चिंता साठ के दशक से दुनिया भर में बढ़ी है। पर्यावरण में गिरावट गुणवत्ता का प्रमाण बढ़ते प्रदूषण, हानि से मिला है

वनस्पति आवरण और जैविक विविधता, अत्यधिक

परिवेश में हानिकारक रसायनों की सांद्रता के बढ़ते जोखिम V.

वातावरण और खाद्य श्रृंखलाओं में, मध्य प्रदेश राज्य

पर्यावरण निर्णय अनुसंधान और विकास के लिए केंद्र [इंद्रबनेर्जी, जे.]

पर्यावरणीय दुर्घटनाएँ और जीवन समर्थन प्रणालियों के लिए खतरे।

जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में लिए गए निर्णयों में पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और वृद्धि के लिए विश्व समुदाय के संकल्प को व्यक्त किया गया। भारत सरकार ने सम्मेलन में भाग लिया और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दृढ़ता से उठाया। जबकि सम्मेलन से पहले और बाद में पर्यावरण संरक्षण के लिए कई उपाय किए गए हैं, सम्मेलन के निर्णयों को लागू करने के लिए एक सामान्य कानून की आवश्यकता हो गई है।

अधिक से अधिक स्पष्ट हो रहा है।

2. हालाँकि कई पर्यावरणीय मामलों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निपटने वाले मौजूदा कानून हैं, लेकिन यह आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए एक सामान्य कानून बनाना। मौजूदा कानून आम तौर पर विशिष्ट प्रकार के प्रदूषण या खतरनाक पदार्थों की विशिष्ट श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पर्यावरणीय खतरों के कुछ प्रमुख क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है। प्रमुख पर्यावरणीय खतरों के क्षेत्रों में भी अप्रकाशित अंतराल मौजूद हैं। मामलों को संभालने में अपर्याप्त संबंध हैं

औद्योगिक और पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण में खतरनाक पदार्थों, विशेष रूप से नए रसायनों के धीमे, कपटी निर्माण से बचाव के लिए नियंत्रण तंत्र कमजोर हैं। नियामक एजेंसियों की बहुलता के कारण, एक ऐसे प्राधिकरण की आवश्यकता है जो दीर्घकालिक आवश्यकताओं के अध्ययन, योजना और कार्यान्वयन के लिए प्रमुख भूमिका निभा सके।

पर्यावरण सुरक्षा और आपात स्थिति के लिए त्वरित और पर्याप्त प्रतिक्रिया की प्रणाली को निर्देश देना और समन्वय करना।

पर्यावरण को खतरे में डालने वाली स्थितियाँ।

3. ऊपर जो कहा गया है, उसे देखते हुए पर्यावरण पर एक सामान्य कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता है

संरक्षण जो अन्य बातों के साथ-साथ समन्वय को सक्षम बनाता है

पर्यावरण संरक्षण, निर्वहन का विनियमन पर्यावरण प्रदूषकों और खतरनाक से निपटने

पर्यावरण को खतरे में डालने वाली दुर्घटनाओं की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया और मानव पर्यावरण, सुरक्षा और स्वास्थ्य को खतरे में डालने वालों को निवारक सजा।

0] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

}

}

11. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3 अधिकार प्रदान करती है

केंद्र सरकार ऐसे सभी उपाय करे जो उसे सुरक्षा और सुधार के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन लगे। पर्यावरण की गुणवत्ता और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने और कम करने के लिए। धारा 3 (2) (iv) विशेष रूप से केंद्र सरकार को पर्यावरण के उत्सर्जन के लिए मानक निर्धारित करने का अधिकार देती है।

प्रदूषक, जो भी स्रोत हो। यह, अन्य बातों के अलावा, केंद्र सरकार की सामान्य शक्ति के लिए मानक निर्धारित करने के लिए है

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 3 (2) (iii) के तहत अपने विभिन्न पहलुओं में पर्यावरण की गुणवत्ता। पर्यावरण प्रदूषक "में शामिल हैं मोटर वाहन से उत्सर्जित पर्यावरण के लिए हानिकारक गैसीय पदार्थ।

12. पर्यावरण संरक्षण के कुछ प्रासंगिक प्रावधान

सुविधा के लिए अधिनियम नीचे दिए गए हैं।

" 5. निर्देश देने की शक्ति

किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, लेकिन

इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, केंद्र सरकार

अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कार्यों के निष्पादन में

इस अधिनियम के तहत कार्य, किसी को भी लिखित रूप में निर्देश जारी करें

व्यक्ति, अधिकारी या कोई प्राधिकारी और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या

प्राधिकरण ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

व्याख्याः सन्देह से बचने के लिए, यह इसके द्वारा है

घोषणा की कि इस धारा के तहत निर्देश जारी करने की शक्ति निर्देशन करने की शक्ति शामिल है -

(ख) बिजली या पानी की आपूर्ति को रोकना या विनियमित करना। या कोई अन्य सेवा।

7. उद्योग, संचालन आदि करने वाले व्यक्तियों को अनुमति नहीं

अत्यधिक पर्यावरणीय प्रदूषकों का उत्सर्जन या निर्वहन

मानकों का

कोई भी व्यक्ति किसी भी उद्योग, संचालन या प्रक्रिया को नहीं चलाता है निर्वहन या उत्सर्जन या निर्वहन या उत्सर्जित होने की अनुमति देगा

ऐसे मानकों से अधिक कोई भी पर्यावरणीय प्रदूषक

निर्धारित किया जा सकता है।

15. उल्लंघन के लिए दंड

अधिनियम और नियमों, आदेशों और निर्देशों के प्रावधान।

(1) जो कोई भी इस अधिनियम या उसके तहत जारी किए गए नियमों या आदेशों या निर्देशों के किसी भी प्रावधान का पालन करने या उल्लंघन करने में विफल रहता है, वह ऐसी प्रत्येक विफलता या उल्लंघन के संबंध में एक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय होगा।

जो जुर्माने के साथ पांच साल तक बढ़ सकता है जो एक लाख रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों के साथ, और यदि विफलता या उल्लंघन जारी रहता है, तो अतिरिक्त जुर्माने के साथ जो हर दिन के लिए पांच हजार रुपये तक बढ़ सकता है, जिसके दौरान ऐसी विफलता या उल्लंघन पहले ऐसे विफलता या उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के बाद जारी रहता है। (2) यदि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विफलता या उल्लंघन दोषसिद्धि की तारीख के बाद एक वर्ष की अवधि से आगे भी जारी रहता है, तो अपराधी को सात वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा।

17. सरकारी विभागों द्वारा अपराध-(1)

जहां सरकार के किसी विभाग द्वारा इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है, वहां विभाग के प्रमुख को अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा। बशर्ते कि

इस धारा में निहित कुछ भी विभाग के ऐसे प्रमुख को किसी भी सजा के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगा यदि वह यह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या कि वह

इस तरह के अपराध को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम करें।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के तहत सरकार के किसी विभाग द्वारा कोई अपराध किया गया है और यह साबित होता है कि अपराध विभाग के प्रमुख के अलावा किसी अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या उसकी ओर से किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तो ऐसे अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा।

18. अच्छे विश्वास में ली गई कार्रवाई की सुरक्षा। सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। सरकार या इस अधिनियम के तहत गठित कोई प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण का कोई सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी जो इस अधिनियम या बनाए गए नियमों या आदेशों के अनुसरण में सद्भावना से किया जाता है या किया जाना चाहता है।

19. अपराधों का संज्ञान-कोई भी अदालत इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी सिवाय इसके कि - केंद्र सरकार या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा की गई शिकायत

सरकार 1, या (बी) कोई भी व्यक्ति जिसने कथित अपराध और शिकायत करने के अपने इरादे के बारे में निर्धारित तरीके से कम से कम साठ दिनों की सूचना केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के रूप में अधिकृत प्राधिकारी या अधिकारी को दी है।

ऊपर कहा गया है।

23. प्रत्यायोजित करने की शक्ति

धारा 3 की उप-धारा (3) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्र सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रत्यायोजित कर सकती है और

अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाने वाली सीमाएँ, इस अधिनियम के तहत इसकी शक्तियाँ और कार्य, [धारा 3 की उप-धारा (3) के तहत एक प्राधिकरण का गठन करने और धारा 25 के तहत नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर] जो वह आवश्यक समझे या

किसी भी अधिकारी, राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण के लिए समीचीन।

24. अन्य कानूनों का प्रभाव

(1) उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रावधानों और उसमें बनाए गए नियमों या आदेशों में -

इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य अधिनियम में निहित कुछ भी असंगत होने के बावजूद प्रभाव।

(2) जहां कोई कार्य या चूक इस अधिनियम के तहत और किसी अन्य अधिनियम के तहत भी दंडनीय अपराध है, तो ऐसे अपराध का दोषी पाया जाने वाला अपराधी दंडनीय होगा - अन्य अधिनियम के तहत दंडित किया जाता है न कि इस अधिनियम के तहत। मध्य प्रदेश राज्य v.

पर्यावरण सुरक्षा अनुसंधान और विकास के लिए केंद्र [इंद्रबनेर्जी, जे.]

13. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 24 में प्रावधान है कि नियम के तहत उक्त अधिनियम के प्रावधानों या उसमें दिए गए आदेशों का प्रभाव पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अलावा किसी अन्य अधिनियम में निहित नहीं होगा। जहाँ कोई कार्य या चूक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और किसी अन्य अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है, वहाँ ऐसे अपराध का दोषी पाया जाने वाला अपराधी दूसरे अधिनियम के तहत दंडित होने के लिए उत्तरदायी है।

15. एम. सी. मेहता (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर विचार किया, जिसमें सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थीः अन्य बातों के साथ-साथ, रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा हॉल में फिल्मों की प्रदर्शनी के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में मुफ्त में जानकारी का प्रसार करें। के मुख्य उद्देश्यों में से एक

यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक संगत है, जैसा कि दयाल वी. भारत संघ ने ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 867 में बताया है। 16. मोटर वाहन अधिनियम और विशेष रूप से केंद्र सरकार की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 बनाया गया, जिसे इसके बाद "1989 नियम" के रूप में संदर्भित किया गया है। मोटर वाहनों से उत्सर्जन, पर्यावरणीय प्रदूषकों के निर्वहन के लिए मानक निर्धारित करने के प्रावधानों को शामिल करने के लिए 1989 के नियमों में भी समय-समय पर संशोधन किया गया है। मोटर वाहनों से उत्सर्जन के मानदंडों को 1989 के नियमों के 115,115 ए, 115 बी, 115 सी, 115 डी और 115 ई में शामिल किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17. केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

" 115. मोटर वाहनों से धुआं, वाष्प आदि का उत्सर्जन। — [(1) मार्च 1990 के पहले दिन से पहले निर्मित 70 सीसी से अधिक की इंजन क्षमता वाले मोटर चक्रों के अलावा प्रत्येक मोटर वाहन को ऐसी स्थिति में बनाए रखा जाएगा और इस तरह से चलाया जाएगा ताकि इन नियमों में निर्धारित मानकों का पालन किया जा सके।] "

(2) 1 अक्टूबर, 2004 को और उसके बाद, प्रत्येक मोटर वाहन

पर काम कर रहा है -

(i) पेट्रोल/सी. एन. जी./एल. पी. जी. कार्बन मोनोऑक्साइड (सी. ओ.) और हाइड्रो कार्बन (एच. सी.) के लिए निष्क्रिय उत्सर्जन मानकों का पालन करेगा जो नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

(ii) सभी डीजल चालित वाहनों के लिए धुएँ का घनत्व निम्नानुसार होगा:

(3) इस उप-नियम के प्रारंभ होने की तारीख को और उसके बाद से सभी पेट्रोल चालित वाहनों का इस तरह से निर्माण किया जाएगा कि वे में निर्दिष्ट द्रव्यमान उत्सर्जन मानकों का पालन करें

अनुलग्नक I. के लिए उपयोग किए गए संचालन चक्र का टूटना

परीक्षण अनुलग्नक II में निर्दिष्ट के रूप में होगा, और ऐसे सभी परीक्षणों के लिए संदर्भ ईंधन अनुलग्नक III में निर्दिष्ट किया जाएगा

ये नियम।

(4) इस उप-नियम के लागू होने की तारीख से सभी डीजल चालित वाहनों का इस तरह से निर्माण किया जाएगा कि वे

इन नियमों के अनुलग्नक IV में निर्दिष्ट निकास गैस अपारदर्शिता के आधार पर मानकों का पालन करें।

(5) इस उप-नियम के शुरू होने की तारीख को और उसके बाद से सभी पेट्रोल चालित वाहनों का इस तरह से निर्माण किया जाएगा कि वे

जब परीक्षण किया जाता है तो उत्सर्जन के निम्नलिखित स्तरों का पालन करें

अनुलग्नक V में निर्दिष्ट प्रति परीक्षण चक्र

कृषि ट्रैक्टरों को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। (6) तिथियों पर और उसके बाद निर्मित प्रत्येक मोटर वाहन

उप-नियम (2), (3), (4) या (5) में निर्दिष्ट, मध्य प्रदेश राज्य द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

पर्यावरण सुरक्षा अनुसंधान और विकास के लिए केंद्र [इंद्रबनेर्जी, जे.]

निर्माताओं को उक्त उप-अनुभागों में निर्दिष्ट मानकों का पालन करना होगा, और आगे प्रमाणित करना होगा कि

गैसीय प्रदूषकों के उत्सर्जन को प्रभावित करने के लिए उत्तरदायी घटकों को इस तरह से डिज़ाइन, निर्माण और इकट्ठा किया जाता है ताकि

वाहन, सामान्य उपयोग में, उस कंपन के बावजूद जिसके अधीन यह किया जा सकता है, उक्त उप नियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए।

(7) मोटर वाहन के पहली बार पंजीकृत होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद, ऐसे प्रत्येक वाहन के पास राज्य द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी एक वैध "प्रदूषण नियंत्रण" प्रमाण पत्र होगा।

सरकार। प्रमाणपत्र की वैधता [छह महीने] के लिए होगी और प्रमाण पत्र हमेशा वाहन में रखा जाएगा और नियम 116 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा मांग पर प्रस्तुत किया जाएगा।

बशर्ते कि भारत राज्य-4 के अनुसार वाहन निर्माण के लिए प्रमाण पत्र की वैधता बारह महीने की होगी।

मानक। (8)
उप-नियम (7) के तहत जारी किया गया प्रमाण पत्र, जब तक यह प्रभावी रहेगा, पूरे भारत में मान्य होगा।

(9) डीजल वाहनों के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन मानक

18. कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रो कार्बन आदि प्रदूषक गैसों के मोटर वाहनों से उत्सर्जन के मानक और/या मानदंड निम्नलिखित हैं - नियम 115 में संलग्न तालिकाओं और अनुलग्नकों में निर्धारित। नियम 115 ए, 115 बी, 115 सी, 115 डी और 115 ई अन्य बातों के साथ-साथ कृषि ट्रैक्टरों, निर्माण उपकरण वाहनों के संबंध में विशेष प्रावधान करते हैं।

डीजल इंजन, सी. एन. जी. (संपीड़ित प्राकृतिक गैस) संचालित वाहन, एल. पी. जी. (तरलीकृत पेट्रोलियम गैस) संचालित वाहन, उपयोग किए जाने वाले वाहनों में संकर विद्युत प्रणाली किट का पुनः संयोजन, फ्लेक्स ईंधन इथेनॉल (ई 85) और इथेनॉल (ईडी95) वाहनों के बड़े पैमाने पर उत्सर्जन मानकों को मिलाकर कटाई करें।

19. नियम 115 के उप-नियम (3) में प्रावधान है कि उप-नियम के शुरू होने की तारीख, यानी 1 अप्रैल, 1991 को या उससे सभी पेट्रोल वाहनों का इस तरह से निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि उत्सर्जन मानक का पालन किया जा सके।

नियमों में निर्दिष्ट।

0] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

20. नियम 115 के उप-नियम (4) में प्रावधान है कि उक्त उप-नियम के प्रारंभ की तारीख को या उससे, जो कि 1 अप्रैल, 1991 भी है, सभी

ऐसे डीजल चालित वाहनों का निर्माण इस तरह से किया जाएगा कि वे अपनी निकास गैस क्षमता के अनुसार नियमों में निर्दिष्ट उत्सर्जन मानकों का पालन करें।

21. नियम 115 के उप-नियम (6) में प्रावधान है कि लागू उप-नियमों में निर्दिष्ट तिथियों को या उसके बाद निर्मित प्रत्येक मोटर वाहन

नियम 115 को लागू उप-नियमों में निर्दिष्ट मानक के अनुरूप प्रमाणित किया जाएगा और आगे प्रमाणित किया जाएगा कि गैसीय प्रदूषकों के उत्सर्जन को प्रभावित करने के लिए उत्तरदायी घटकों को इस तरह से डिज़ाइन, निर्माण और इकट्ठा किया गया है ताकि वाहन, सामान्य दृष्टि से, उस कंपन के बावजूद, जिसके अधीन वह हो सकता है, लागू उप-नियम के प्रावधानों का पालन करने में सक्षम हो सकें।

22. नियम 115 (7) में प्रावधान है कि मोटर वाहन को पहली बार पंजीकृत करने की तारीख से एक साल की अवधि समाप्त होने के बाद, ऐसे प्रत्येक वाहन के पास राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी एक वैध "प्रदूषण नियंत्रण" प्रमाण पत्र होगा। प्रमाणपत्र की वैधता [छह महीने] के लिए होगी और प्रमाण पत्र हमेशा वाहन में रखा जाएगा और नियम 116 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा मांग पर प्रस्तुत किया जाएगा।

23. केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 का नियम 116 प्रदान करता हैः

" 116. धुआँ उत्सर्जन स्तर और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए परीक्षण

मोटर वाहनों के लिए स्तर।

(1) नियम के उप-नियम (7) में कुछ भी निहित होने के बावजूद

115 उप-पुलिस निरीक्षक के पद से नीचे का कोई भी अधिकारी

या मोटर वाहनों के निरीक्षक जिनके पास विश्वास करने का कारण है कि एक मोटर वाहन के प्रावधान का पालन नहीं कर रहा है

नियम 115 के उप-नियम (2) या उप-नियम (7), लिखित रूप में, वाहन के चालक या किसी भी प्रभारी व्यक्ति को निर्देश दे सकते हैं कि वह

मानकों को मापने के लिए परीक्षण आयोजित करने के लिए वाहन

किसी भी अधिकृत परीक्षण केंद्र में उत्सर्जन, और

पते पर किसी प्राधिकारी को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें

चेक आयोजित करने की तारीख से 7 दिनों के भीतर लिखित निर्देश में उल्लेख किया गया है।

(2) चालक या वाहन का प्रभारी कोई अन्य व्यक्ति

मध्य प्रदेश के उप-राज्य में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा ऐसे निर्देश पर v.

पर्यावरण निर्णय अनुसंधान और विकास के लिए केंद्र [इंद्रबनेर्जी, जे.]

नियम (1) किसी भी अधिकृत परीक्षण केंद्र पर 16 [नियम 115 के उप-नियम (2) और उप-नियम (7)] के प्रावधानों के अनुपालन के लिए वाहन को परीक्षण के लिए प्रस्तुत करें।

(3) 16 [नियम 115 के उप-नियम (2) और उप-नियम (7)] के प्रावधानों के अनुपालन के लिए मापन में निर्दिष्ट किसी भी एजेंसी द्वारा अनुमोदित प्रकार के मीटर के साथ किया जाएगा।

प्रमुख नियमों का नियम 126 या राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर द्वारा-440001: [बशर्ते कि ऐसी परीक्षण एजेंसी मीटर मापने की मंजूरी के लिए एम. ओ. एस. आर. टी. एच./सी. एम. वी. आर./टी. ए. पी.-115/116 का पालन करेगी;]

(4) यदि परीक्षणों के परिणाम से संकेत मिलता है कि मोटर वाहन [नियम 115 के उप-नियम (2) और उप-नियम (7)] के प्रावधानों का पालन करता है, तो वाहन का चालक या कोई भी प्रभारी व्यक्ति निर्धारित समय-सीमा के भीतर उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकरण को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। (5) यदि परीक्षण परिणाम इंगित करते हैं कि मोटर वाहन [नियम 115 के उप-नियम (2) और उप-नियम (7)] के प्रावधानों का पालन नहीं करता है, तो वाहन का चालक या कोई भी प्रभारी व्यक्ति 7 दिनों की अवधि के भीतर नियम 115 के उप-नियम (2) के प्रावधानों का पालन करने के लिए दोषों को ठीक करेगा और वाहन को किसी भी अधिकृत परीक्षण केंद्र में उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र सात दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है या यदि वाहन

सात दिनों की अवधि के भीतर 17 [नियम 115 के उप-नियम (2) और उप-नियम (7)] के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने पर वाहन का मालिक अधिनियम की धारा 190 की उप-धारा (2) के तहत निर्धारित जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) यदि उप-नियम (1) में निर्दिष्ट वाहन का चालक या कोई प्रभारी व्यक्ति 7 दिनों की उक्त अवधि के भीतर उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, तो ऐसा वाहन निम्नलिखित माना जाएगाः

नियम 115 के उप-नियम (2) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और जाँच अधिकारी मामले की रिपोर्ट करेगा

पंजीकरण प्राधिकरण।

0] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(8) पंजीकरण प्राधिकरण रिपोर्ट प्राप्त होने पर करेगा

उप-नियम (7) में निर्दिष्ट, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए वाहन के पंजीकरण के प्रमाण पत्र को तब तक निलंबित कर दें, जब तक कि प्रमाण पत्र को पंजीकरण प्राधिकरण के समक्ष इस प्रभाव से प्रस्तुत नहीं किया जाता है कि वाहन 17 ए [नियम 115 के उप-नियम (2) और उप-नियम (7)] के प्रावधानों का पालन करता है।
(9) वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र के इस तरह के निलंबन पर, वाहन के संबंध में दिया गया कोई भी परमिट

अध्याय 5 या मोटर वाहन अधिनियम के अध्याय 6 के तहत,

1988 (59 1988) को निलंबित माना जाएगा।

जब तक एक नया "प्रदूषण नियंत्रण में" प्रमाण पत्र नहीं है

प्राप्त किया।] "

24. नियम 116 और विशेष रूप से उप-नियम (1) जिसे उप-नियम 2 से 5 के साथ पढ़ा जाता है, एक अधिकारी को चालक या किसी अन्य व्यक्ति को निर्देश देने का अधिकार देता है। एक मोटर वाहन का प्रभारी एक अधिकृत परीक्षण केंद्र में उत्सर्जन के मानकों को मापने के लिए एक परीक्षण के लिए वाहन प्रस्तुत करने और एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए। चालक और/या वाहन का प्रभारी व्यक्ति इस तरह के निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य है और परीक्षण राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एन. ई. ई. आर. आई.), नागपुर द्वारा अनुमोदित या किसी भी एजेंसी द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित विनिर्देश के एक मीटर के साथ किया जाना है।

25. नियम 115 (2) और (7) के गैर-अनुपालन के परिणाम केंद्रीय मोटर के नियम 116 के उप-नियम (4) से (9) में निर्धारित किए गए हैं। वाहन के नियम।

26. ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम, 2010 को प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए एक राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामले और उससे जुड़े मामले।

27. उक्त अधिनियम की धारा 2 (1) (सी) पर्यावरण को परिभाषित करती है जिसमें जल, वायु और भूमि और अंतर-संबंध शामिल हैं, जो दोनों के बीच मौजूद हैं। जल, वायु और भूमि और मनुष्य, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, सूक्ष्म जीवों और संपत्ति के बीच।

28. धारा 2 (1) (एम) "से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न" को परिभाषित करती है।

'पर्यावरण' एक उदाहरण को शामिल करने के लिए जहाँ,

(i) एक व्यक्ति द्वारा एक विशिष्ट वैधानिक पर्यावरणीय दायित्व का सीधा उल्लंघन है जिसके द्वारा, मध्य प्रदेश राज्य V.

पर्यावरण निर्णय अनुसंधान और विकास के लिए केंद्र [इंद्रबनेर्जी, जे.]

(ए) किसी व्यक्ति या समूह के अलावा बड़े पैमाने पर समुदाय

व्यक्ति प्रभावित है या प्रभावित होने की संभावना है

पर्यावरणीय परिणाम; या

(बी) पर्यावरण या संपत्ति को नुकसान की गंभीरता पर्याप्त है; या

((ग) सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान व्यापक रूप से मापा जा सकता है।

((ii) पर्यावरणीय परिणाम एक विशिष्ट गतिविधि से संबंधित होते हैं।

या प्रदूषण का एक बिंदु स्रोत;

29. उक्त अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान हैः " न्यायाधिकरण की स्थापनाः केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत ऐसे न्यायाधिकरण को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और अधिकार का प्रयोग करने के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के रूप में जाने जाने वाले एक न्यायाधिकरण की स्थापना करेगी।

30. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नीचे दिए गए उक्त अधिनियम की धारा 14 से विवादों पर विचार करने के लिए अपनी अधिकारिता प्राप्त करता हैः

" 14. विवादों का निपटारा करेगा न्यायाधिकरण

(1) न्यायाधिकरण के पास उन सभी दीवानी मामलों पर अधिकार क्षेत्र होगा जहां पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न (पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन सहित) शामिल है। और इस तरह का सवाल इसके कार्यान्वयन से उत्पन्न होता है

अनुसूची I में निर्दिष्ट अधिनियम।

(2) न्यायाधिकरण उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले विवादों की सुनवाई करेगा और ऐसे विवादों का निपटारा करेगा और पारित करेगा।

उस पर आदेश दें। (3) इस धारा के तहत विवाद के निर्णय के लिए कोई आवेदन नहीं

न्यायाधिकरण द्वारा तब तक विचार किया जाएगा जब तक कि यह कार्रवाई के कारण की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है।

इस तरह के विवाद के लिए सबसे पहले उत्पन्न हुआः बशर्ते कि न्यायाधिकरण, यदि यह संतुष्ट हो कि आवेदक को उक्त अवधि के भीतर आवेदन दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो इसे आगे की अवधि के भीतर दायर करने की अनुमति दे सकता है।

साठ दिनों से अधिक "।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

31. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 15, जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को राहत के आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करती है, स्थापना और पुनर्स्थापन प्रदान करता हैः

" (1) न्यायाधिकरण, एक आदेश द्वारा, प्रदान कर सकता है -

(क) अनुसूची I में निर्दिष्ट अधिनियमों के तहत उत्पन्न होने वाले प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को राहत और मुआवजा (किसी भी स्थिति से निपटने के दौरान होने वाली दुर्घटना सहित)।

खतरनाक पदार्थ);

(बी) क्षतिग्रस्त संपत्ति की बहाली के लिए;

(ग) ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए पर्यावरण की बहाली के लिए, जैसे - न्यायाधिकरण उचित समझ सकता है।

(2) उप-धारा (1) के खंड (ए), (बी) और (सी) में निर्दिष्ट संपत्ति और पर्यावरण की राहत और क्षतिपूर्ति और पुनर्स्थापना निम्नलिखित के तहत भुगतान या देय राहत के अतिरिक्त होगी।

सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 6)।

(3) इस धारा के तहत किसी भी मुआवजे या राहत या संपत्ति या पर्यावरण की बहाली के लिए कोई भी आवेदन न्यायाधिकरण द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि यह उस तारीख से पांच साल की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है जिस दिन इस तरह के मुआवजे का कारण बनता है।

या सबसे पहले राहत मिलीः

बशर्ते कि न्यायाधिकरण, यदि यह संतुष्ट हो कि आवेदक को उक्त अवधि के भीतर आवेदन दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो इसे आगे की अवधि के भीतर दायर करने की अनुमति दे सकता है।

साठ दिन से अधिक।

(4) न्यायाधिकरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य को हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए,

संपत्ति और पर्यावरण, मुआवजे या राहत को विभाजित करें

अनुसूची II में निर्दिष्ट अलग-अलग शीर्षों के तहत देय ताकि दावेदारों को मुआवजा या राहत प्रदान की जा सके और क्षतिपूर्ति की जा सके।

क्षतिग्रस्त संपत्ति या पर्यावरण, जैसा कि वह उचित समझे। (5) इस अधिनियम के तहत मुआवजे या राहत का प्रत्येक दावेदार न्यायाधिकरण को दायर आवेदन के बारे में सूचित करेगा, या, के रूप में

मामला किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त मुआवजा या राहत हो सकता है।

अदालत या प्राधिकरण "।

32. उक्त अधिनियम की धारा 19 और 20 में कहा गया हैः

" 19. न्यायाधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियाँ।

(1) न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा।

(2) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, न्यायाधिकरण को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।

(ख) दस्तावेजों की खोज और उत्पादन की आवश्यकता; (ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 123 और 124 के प्रावधानों के अधीन, किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या दस्तावेज़ या किसी भी कार्यालय से ऐसे रिकॉर्ड या दस्तावेज़ की प्रति की मांग करना; (ई) गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए आयोग जारी करना;

(च) अपने निर्णय की समीक्षा करना;

(छ) किसी आवेदन को चूक के लिए खारिज करना या इसे एकतरफा निर्णय लेना;

(ज) चूक के लिए किसी भी आवेदन को खारिज करने के किसी भी आदेश या उसके द्वारा एकतरफा रूप से पारित किसी भी आदेश को दरकिनार करना; (i) एक अंतरिम आदेश पारित करना (निषेधाज्ञा या रोक सहित)

इस अधिनियम के तहत दायर किसी भी आवेदन या अपील पर संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद; (जे) एक आदेश पारित करता है जिसमें किसी भी व्यक्ति को रोकने और रोकने की आवश्यकता होती है

अनुसूची I में निर्दिष्ट किसी भी अधिनियम का उल्लंघन करना या करना;

((ट) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

(5) न्यायाधिकरण के समक्ष सभी कार्यवाहियों को माना जाएगा -

भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 196 के प्रयोजनों के लिए धारा 193,219 और 228 के अर्थ के भीतर न्यायिक कार्यवाहियां और न्यायाधिकरण को भारतीय दंड संहिता की धारा 195 और अध्याय XXVI के प्रयोजनों के लिए एक दीवानी न्यायालय माना जाएगा।

दंड प्रक्रिया, 1973 (1974 का 2)।

20. कुछ सिद्धांतों को लागू करने के लिए न्यायाधिकरण।

न्यायाधिकरण, किसी भी आदेश या निर्णय या पुरस्कार को पारित करते समय, सतत विकास के सिद्धांतों, एहतियाती उपायों को लागू करेगा।

सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत "।

33. धारा 23 न्यायाधिकरण को लागत के बारे में ऐसा आदेश देने में सक्षम बनाती है जो वह आवश्यक समझे और धारा 24 न्यायाधिकरण को पर्यावरण को नुकसान के आधार पर मौद्रिक मुआवजे या राहत के लिए एक पुरस्कार देने का अधिकार देती है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण का एक पुरस्कार या आदेश या निर्णय स्वयं न्यायाधिकरण द्वारा सिविल न्यायालय के आदेश के रूप में निष्पादित किया जा सकता है, जिसके लिए न्यायाधिकरण के पास सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां हैं। न्यायाधिकरण अपने द्वारा दिए गए किसी भी आदेश या पुरस्कार को निष्पादन के लिए सिविल न्यायालय को भी प्रेषित कर सकता है।

34. किसी अधिनिर्णय का पालन करने में विफलता के लिए दंड अधिनियम के अध्याय IV में निर्धारित किया गया है जिसमें इससे संबंधित धारा 26 और 28 शामिल हैं।

अपील नीचे दी गई है।

“ 26. न्यायाधिकरण के आदेशों का पालन करने में विफलता के लिए दंड।

(1) जो कोई भी इस अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण के किसी आदेश या पुरस्कार या निर्णय का पालन करने में विफल रहता है, वह दंडनीय होगा -

कारावास जो तीन वर्ष तक बढ़ सकता है, या जुर्माने के साथ जो दस करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों के साथ और यदि विफलता या उल्लंघन जारी रहता है, तो अतिरिक्त जुर्माने के साथ जो हर दिन के लिए पच्चीस हजार रुपये तक बढ़ सकता है जिसके दौरान ऐसी विफलता या उल्लंघन जारी रहता है।

इस तरह की पहली विफलता या उल्लंघन के लिए दोषसिद्धिः

बशर्ते कि यदि कोई कंपनी इस अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण के किसी आदेश या पुरस्कार या निर्णय का पालन करने में विफल रहती है, तो ऐसी कंपनी

जुर्माने से दंडनीय होगा जो पच्चीस करोड़ रुपये तक हो सकता है, और यदि विफलता या उल्लंघन जारी रहता है, तो अतिरिक्त जुर्माना जो मध्य प्रदेश के प्रत्येक राज्य के लिए एक लाख रुपये तक हो सकता है।

पर्यावरण सुरक्षा अनुसंधान और विकास के लिए केंद्र [इंद्रबनेर्जी, जे.]

जिस दिन ऐसी विफलता या उल्लंघन पहली ऐसी विफलता या उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के बाद जारी रहता है।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध को उक्त संहिता के अर्थ के भीतर गैर-संज्ञेय माना जाएगा।

28. सरकारी विभाग द्वारा अपराध।

(1) जहां सरकार का कोई विभाग इस अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण के किसी आदेश या पुरस्कार या निर्णय का पालन करने में विफल रहता है, तो विभाग के प्रमुख को ऐसी विफलता का दोषी माना जाएगा और इस अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगाः

बशर्ते कि इस धारा में निहित कुछ भी विभाग के ऐसे प्रमुख को किसी भी सजा के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगा यदि वह साबित करता है

कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या कि उसने इस तरह के अपराध को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया अपराध।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किसी विभाग द्वारा किया गया है।

सरकार की ओर से और यह साबित किया जाता है कि अपराध सरकार के प्रमुख के अलावा किसी अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या किसी अन्य अधिकारी की ओर से किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। विभाग, ऐसे अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा।

35. न्यायाधिकरण के निर्णय से अपील सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 में निर्दिष्ट एक या अधिक आधारों पर और/या दूसरे शब्दों में कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर धारा 22 के तहत न्यायालय में होती है। इसलिए यह न्यायालय निम्नलिखित निर्णयों और आदेशों में किसी भी तथ्यात्मक निष्कर्ष की शुद्धता की जांच करना आवश्यक नहीं समझता है।

अपील करें।

सरकार डीलरों, दुकानों और पेट्रोल पंपों को उन वाहनों को ईंधन की आपूर्ति नहीं करने का निर्देश देगी और/या निर्देश देगी जिनके पास वैध ईंधन नहीं था। पी. यू. सी. प्रमाणपत्र और क्या वैध पी. यू. सी. प्रमाणपत्र प्रदर्शित करने की आवश्यकता का पालन नहीं करने वाले वाहन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है [2020] 12 एस. सी. आर.

किसी भी विक्रेता या किसी आउटलेट या पेट्रोल पंप द्वारा ईंधन की आपूर्ति से, एक साथ निपटा जाता है।

37. एन. जी. टी. अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरण के पास उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत सभी दीवानी मामलों का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र है।

प्रवर्तन सहित पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न

पर्यावरण से संबंधित कोई भी अधिकार शामिल है और ऐसा प्रश्न उक्त अधिनियम की अनुसूची I में निर्दिष्ट अधिनियमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होता है, जिसमें वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 शामिल हैं।

38. एनजीटी अधिनियम की धारा 2 (एम) में पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, विद्वान न्यायाधिकरण जांच कर सकता है और

किसी भी विशिष्ट वैधानिक पर्यावरणीय दायित्व के उल्लंघन के प्रश्न का निर्णय लेना, जो व्यक्तियों के एक समूह या बड़े पैमाने पर समुदाय को प्रभावित करता है या प्रभावित करने की संभावना है।

39. एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 14 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए, पर्यावरण के किसी भी कानूनी अधिकार सहित कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल होना चाहिए और ऐसा प्रश्न निर्दिष्ट अधिनियमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होना चाहिए।

41. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 को एन. जी. टी. अधिनियम की अनुसूची I में निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, इसके तहत बनाए गए वैधानिक 1989 नियम उक्त अधिनियम मोटर वाहनों के नियंत्रण में निर्माताओं, मालिकों और अन्य लोगों के साथ-साथ उक्त अधिनियम के तहत राज्य और अन्य वैधानिक प्राधिकरणों पर वैधानिक पर्यावरणीय दायित्व डालता है। 1989 के नियमों के तहत वैधानिक पर्यावरणीय दायित्वों का प्रवर्तन, जो एक है

1981 के अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और विशेष रूप से 1981 के अधिनियम की धारा 20 के कार्यान्वयन से पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है, जो राज्य सरकार को हमारे प्रदूषकों के उत्सर्जन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मोटर वाहनों के पंजीकरण के प्रभारी अधिकारियों को निर्देश देने का अनिवार्य कर्तव्य देता है और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 7, जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी संचालन को करने से रोकती है, जिसमें मोटर वाहन का संचालन, निर्वहन या मध्य प्रदेश राज्य शामिल है।

निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी पर्यावरणीय प्रदूषक को उत्सर्जित करना या ऐसे निर्वहन या उत्सर्जन की अनुमति देना।

42. धारा 3,7,10,11 और 23 के संयुक्त पठन पर

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, धारा 3 (1) के विशेष संदर्भ में,

3 (2) (i) (ए) और (बी), 3 (2) (iii, iv) और 3 (2) (x) 1981 के अधिनियम की धारा 20 के साथ और एनजीटी अधिनियम की धारा 14, जिसे 2 (सी) और 2 (एम) के साथ पढ़ा जाता है और 1989 के नियमों के नियम 115 और 116, विद्वान न्यायाधिकरण के पास शक्ति थी,

प्राधिकरण और/या अधिकार क्षेत्र अपीलकर्ता राज्य सरकार को वैध पी. यू. सी. प्रमाणपत्र रखने और/या प्रदर्शित करने के लिए वाहनों की आवश्यकता को सख्ती से लागू करने का निर्देश देता है, और अपीलकर्ता राज्य सरकार और/या अन्य संबंधित अधिकारियों को कानून, यानी 1989 के नियमों के नियमों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश देता है।

43. 1981 के अधिनियम की धारा 17 (1) (जी) के साथ धारा 20 के उद्देश्यपूर्ण अध्ययन पर, नियम 115 और 116 द्वारा निर्धारित उत्सर्जन के मानक

1989 के नियमों में 1981 के अधिनियम की धारा 20 शामिल है।

44. 1989 के नियमों के तहत, यह प्रत्येक मोटर वाहन के लिए अनिवार्य है।

मोटर वाहन के पहली बार पंजीकृत होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी एक वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र ले जाना।

45. 1989 के नियमों के नियम 115 को नियम 116 के साथ पढ़ने पर

पी. यू. सी. प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफलता के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन का जुर्माना लगाया जाता है।

46. उल्लंघन में प्रदूषण पी. यू. सी. प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना

नियम 115 (7) (2) में, जैसा कि ऊपर देखा गया है, पंजीकरण के निलंबन का जुर्माना शामिल है।

47. धारा 116 (9) के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

मोटर वाहन अधिनियम के नियम 190 (2) के तहत जुर्माना, जो प्रदान करता है:

" 190 (2) कोई भी व्यक्ति जो गाड़ी चलाता है या गाड़ी चलाता है या गाड़ी चलाने की अनुमति देता है,

किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एक मोटर वाहन, जो मानकों का उल्लंघन करता है सड़क सुरक्षा, शोर और हवा के नियंत्रण के संबंध में निर्धारित

प्रदूषण, पहले अपराध के लिए कारावास के साथ दंडनीय होगा

तीन महीने की अवधि के लिए लाइसेंस रखने के लिए अयोग्य घोषित और [2020] 12 एस. सी. आर. के कारावास के साथ किसी दूसरे या बाद के अपराध के लिए।

अवधि जो छह महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माने के साथ जो दस हजार रुपये तक बढ़ सकता है या दोनों के साथ।

48. यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि प्रदूषण पी. यू. सी. प्रमाण पत्र के बिना वाहन चलाने के लिए (i) पंजीकरण प्रमाण पत्र का निलंबन; (ii) कारावास जो तीन महीने तक बढ़ सकता है; (iii) जुर्माना जो Rs.10,000/- तक बढ़ सकता है या दोनों (iv) तीन महीने की अवधि के लिए लाइसेंस रखने के लिए अयोग्यता (v) एक अवधि के लिए कारावास जो छह महीने तक बढ़ सकता है या जुर्माने के साथ जो 50000 रुपये तक बढ़ सकता है। 10,000 / - या दंड के साथ।

49. नियम 116 (8) और (9) के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पंजीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन अस्थायी है। निलंबन

यह तब तक है जब तक कि पंजीकरण प्राधिकरण के समक्ष एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है जो यह प्रमाणित करता है कि वाहन केंद्रीय नियमों के नियम 115 के उप नियम (2) और (7) का पालन करता है। एक पंजीकरण प्रमाण पत्र को भी निलंबित माना जाना चाहिए, जब तक कि एक नया प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो जाता।

50. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब कोई क़ानून या सांविधिक नियम

किसी भी कार्य या चूक के लिए दंड निर्धारित किया गया है, कोई अन्य दंड नहीं

कानून या सांविधिक नियमों में विचार किए गए नियमों को लागू किया जा सकता है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब क़ानून किसी चीज़ को एक विशेष तरीके से करने की आवश्यकता होती है, तो उसे केवल उसी तरीके से किया जाना चाहिए।

51. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि पर्यावरण की रक्षा करने और वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए जब भी संभव हो, सख्त कदम उठाए जाने चाहिए।

पर्यावरणीय प्रदूषण पैदा करने वाले वैधानिक नियमों का उल्लंघन। सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन कानून के अनुसार।

52. वैध पी. यू. सी. प्रमाणपत्र रखने और/या प्रदर्शित करने की आवश्यकता का पालन नहीं करने वाले वाहनों को ईंधन की आपूर्ति बंद करना है।

1989 के नियमों या एनजीटी अधिनियम में विचार किया गया। मोटर वाहन

वैध पी. यू. सी. प्रमाणपत्र रखने और/या प्रदर्शित करने की आवश्यकता का पालन न करने पर ईंधन की आपूर्ति से रोक नहीं लगाई जा सकती है। 53. अपीलकर्ता राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कि कोई भी विक्रेता और/या आउटलेट और/या पेट्रोल पंप केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत पी. यू. सी. प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को ईंधन की आपूर्ति न करे, विद्वत न्यायाधिकरण ने इस तथ्य की अनदेखी की कि प्रदूषण मानदंडों का पालन करने के लिए किसी भी वाहन की मरम्मत नहीं की जा सकती है और न ही ईंधन के बिना मरम्मत पर राजनीतिक मानदंडों के अनुपालन के लिए परीक्षण किया जा सकता है।

तदनुसार। 55. विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश अपीलार्थी राज्य के खिलाफ बाध्यकारी और प्रवर्तनीय हैं। जैसा कि ऊपर देखा गया है, विद्वत न्यायाधिकरण के पास अपीलकर्ता राज्य को नियम 115 और 116 के अनुपालन को सख्ती से लागू करने का निर्देश देने की शक्ति, अधिकार और अधिकार क्षेत्र था। एनजीटी अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण का एक आदेश प्रदान किए गए तरीके से लागू करने योग्य है।

एनजीटी अधिनियम की धारा 25 में।

56. न्यायाधिकरण के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभूति जमा करने के लिए एन. जी. टी. अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। करने में विफलता के लिए दंड

न्यायाधिकरण के आदेश का पालन करने पर एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 26 और 28 में निर्धारित जुर्माना लगाया जाता है। 57. 1981 के अधिनियम की धारा 39 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 उल्लंघन के लिए दंड और/या सजा से संबंधित है।

1981 के अधिनियम और/या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत जारी किए गए नियमों, आदेशों और निर्देशों और 1981 के अधिनियम की धारा 41 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 17 सरकारी विभागों द्वारा किए गए अपराधों को नियंत्रित करती है। किसी भी प्रावधान में किसी आदेश के अनुपालन को सुरक्षित करने के लिए मौद्रिक जमा का प्रावधान नहीं है।

58. विद्वत न्यायाधिकरण के पास अपीलकर्ता राज्य को सुरक्षित करने के लिए Rs.25 करोड़ जमा करने का निर्देश देने की कोई शक्ति और/या अधिकार और/या अधिकार क्षेत्र नहीं था।

उसके आदेश का पालन करना। किसी भी मामले में इस तरह का आदेश समीक्षा में पारित नहीं किया जाना चाहिए था जब प्रारंभिक आदेश में प्रतिभूति जमा के लिए कोई निर्देश नहीं था। तदनुसार तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है।

59. इस प्रकार अपीलों की अनुमति दी जाती है। विद्वत न्यायाधिकरण के विवादित निर्णयों और आदेशों को इस हद तक दरकिनार कर दिया गया है कि विद्वत न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता राज्य को प्रतिभूति के रूप में और इस हद तक कि विद्वत न्यायाधिकरण ने कुल 1 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है।

अपीलकर्ता राज्य को सभी विक्रेताओं और/या दुकानों और/या पेट्रोल पंपों पर आदेश और/या निर्देश और/या निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है। उन वाहनों को ईंधन की आपूर्ति करें जो वैध पी. यू. सी. प्रमाणपत्रों के उत्पादन और/या प्रदर्शन की आवश्यकता का पालन नहीं करते हैं।

60. तथापि, राज्य अपीलार्थी नियमों के नियम 115 और 116 के अनुपालन को सख्ती से लागू करेगा और 1989 के नियमों के प्रावधानों के अनुसार उक्त नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी लोगों को दंडित करेगा। जिन वाहनों के पास वैध पी. यू. सी. प्रमाण पत्र नहीं है, उनके पंजीकरण प्रमाण पत्र को तुरंत निलंबित और/या रद्द कर दिया जाएगा, और कानून के अनुसार उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक और/या कब्जे वाले व्यक्ति और/या नियंत्रण के खिलाफ दंडात्मक उपाय शुरू किए जाएंगे।

अ

पीलों की अनुमति दी गई

दिव्या पांडे